न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 140/2022

संत श्री परमानंदजी महाराज समाधी स्थल एवं मेघवाल समाज बगेची जरिये अधिकृत प्रतिनिधी श्री अमृतारामजी महाराज चेला श्री परमानंदजी, जाति संत, निवासी, रणजीत आश्रम, गौर का चौक, रामद्वारा, बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री करणसिंह सोलंकी अधिवक्ता,प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. तहसीलदार पचपदरा विप्रार्थी उपस्थित।

आदेश

दिनांक– 05.1.2023

1.संक्षेप में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम बालोतरा खालसा गांव रहा है,जिसमें एक से अधिक सेन्टलमेंट प्रभाव में आये है,प्रथम सेटलमेंट संवत 2012 मुताबिक वर्ष 1955 में प्रभाव में आया। प्रथम सेटलमेंट के अनुसार द्वितिय सेटलमेंट में भूमियों के रकबे में परिवर्तन किया गया। कि ग्राम बालोतरा पटवार मण्डल बालोतरा में खातेदारी मूल खेत खसरा संख्या 299 था,मूल खसरा संख्या 299 से विभक्त होकर नये खसरा संख्या 299/1 से 299/4 कायम हुए,खसरा संख्या 299/1 व 299/4 जो कि मूल रूप से खसरा संख्या 299 के भाग थे,जो आबादी भूमि थी। उक्त भूमि के समीप मूल खसरा संख्या ... किस्म गैर मुमकिन नदी आयी हुई है,कि प्रार्थी के एकल मालिकाना स्वामित्व कब्जाशुदा भूखण्ड मूल खसरा संख्या 299 व 299 के नये बट्टा नम्बर भूमि सीमा के भीतर स्थित है,उक्त भूखण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:55:50 IST
Reason: SelfAttested

5.1.2023
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

लूणी नदी की सीमा के भीतर नहीं है और न ही उक्त भूखण्ड के जरीयें प्रार्थी द्वारा लूणी नदी के खसरान के भू भाग पर अतिक्रमण किया हुआ है। प्रार्थी को अपपे कब्जाशुदा भूखण्ड के उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार होने के उपरांत भी राजस्व कर्मचारियों ने विवादित भूमि का गलत तरीके से एकतरफा सीमाकंन करते हुए प्रार्थी की कब्जाशुदा भूमि को गैर मुमकिन नदी में होना दर्शाते हुए राजस्व रेकर्ड में गलत तरमीम कर दी गई। अतःप्रार्थी अपनी मालिकाना स्वामित्व की कब्जासुदा भूखण्ड के राजस्व नक्शे व खतौनी को गत बंदोबस्त के नक्शे अनुसार दुरूस्त करने व सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा पुनः बंदोबस्त के दौरान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के उक्त कब्जासुदा भूखण्ड के खसरा संख्या व भूमि की किस्म बाबत् किये गये परिवर्तन को गत बंदोबस्त के रेकार्ड अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन पेश किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया। विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। विप्रार्थी की ओर से प्रार्थी के आवेदन–पत्र में वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए अपना जवाब पेश किया

3.विवादित भूमि की मौका व रेकर्ड स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश करने हेतु अदालत द्वारा गठित कमेटी कर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट चाहे जाने पर गठित कमेटी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट उपलब्ध करवाई।

4.प्रार्थी की ओर से दस्तोवजी साक्ष्य में कस्बा बालोतरा के प्रथम् बंदोबस्त अनुसार नक्शे की फोटोप्रति,कस्बा बालोतरा के द्वितीय बंदोबस्त अनुसार नक्शे की फोटोप्रति,जमाबंदी ग्राम बालोतरा संवत् 1982 फोटोप्रति,बेरेवार जमाबंदी ग्राम बालोतरा संवत् 1982 फोटोप्रति,जमाबंदी ग्राम बालोतरा खसरा संख्या 299 के बट्टे हुए जो फोटोप्रति,खसरा बंदोबस्त की फोटो प्रति, सुपरइम्पोज नक्शा की फोटोप्रति,बैठक कार्यवाही विवरण प्रति,उपतहस[illegible]त्र प्रति,श्रीमान कलक्टर को भेजे पत्र प्रति,भूमि आवंटन आवेदन [illegible] बिल प्रति,माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र की फोटो प्रति व[illegible]रकार का जवाब आवेदन पत्र की फोटो प्रतियां पेश की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:55:50 IST
Reason: SelfAttested

5.1.2023
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

5.उभयपक्ष की अन्तिम बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता नें आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए अपनी बहस में तर्क दिये कि सम्वत् 2012,वर्ष 1955 के पश्चात् सम्वत् 2024 अर्थात वर्ष 1967 में पुनः सेटलमेन्ट हुआ और सम्वत् 2024 में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जो राजस्व नक्शा तैयार किया गया,उसकी फोटोप्रति–2 संलग्न हैं। सम्वत् 2012 वर्ष 1955 में जब सेटलमेन्ट हुआ,उस सेटलमेन्ट के बाद जो जमाबन्दियां कायम की गई,उसके मुताबिक खसरा नंबर 299 व उसके विभक्त होकर नये खसरान नम्बर 299 /2 , 299 , 299/3 ,299/1 , 299/4 कायम हुए। जिसमें भूमि किस्म काबिल काश्त होना व गोविन्दराम वगैरा की खातेदारी भूमि होना अंकित हैं,विवरणानुसार भूमि गैर मुमकिन नदी नही थी तथा खातेदारी/ बेरा / आबादी/सड़क के रूप में उपयोग ली जा रही थी। खसरा नंबर 299 की उपर वर्णित आबादी भूमि पर प्रार्थी का अपने पूर्वजों/हकपूर्वाधिकारीयों के समय से कब्जा चला आ रहा था और तामिरे भी बनी हुई थी। सम्वत् 2024 में सेटलमेन्ट के समय तैयार किये गये खसरा मिलान से स्पष्ट हैं,कि खसरा नंबर 299/1 व 299/4 जो कि मूल रूप से खसरा नंबर 299 के भाग थे,वह भूमि सेटलमेन्ट के अधिकारियों द्वारा आबादी भूमि, में दर्ज नही की गई और यही नही,सेटलमेन्ट में पूर्व में जो गैर मुमकिन नदी की जो स्थिति बताई गई थी,उस गैर मुमकीन नदी की स्थिति को राजस्व नक्शे में मनमाने तरीके से हेरफेर कर दिया गया। प्रथम सेटलमेन्ट सम्वत् 2012 अर्थात् वर्ष 1955 के समय जो राजस्व नक्शा बनाया गया और दुबारा सेटलमेन्ट सम्वत् 2024 वर्ष 1967 के समय जो राजस्व नक्शा बनाया गया,उनको देखने मात्र से स्पष्ट हैं कि पूर्व में खसरा नंबर 299 की भूमि थी,उस भूमि को राजस्व नक्शे में गलत तरीके से नदी की सूची में सम्मिलित कर दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट हैं कि राजस्व नक्शा व रेकार्ड बनाने में त्रुटि कारित हुई हैं,कि खसरा नंबर 299 व 299 के बट्टे की भूमि जो कि आबादी भूमि थी,उस भूमि को सेटलमेन्ट अधिकारी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के आदेश एवं न्यायालय के आदेश के बगैर राजस्व नक्शे में इस प्रकार से हेर फेर नही किया जा सकता। उनके द्वारा राजस्व नक्शा बनाने में जो त्रुटि कारित हुई हैं,वह दोनो नक्शों एवं खसरा मिलान से भी स्पष्ट हैं। राजस्व नक्शे में कतई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार राजस्व नक्शें में खसरा नंबर 299/1 व 299/4 की स्थिति को परिवर्तन किया गया हैं,उससे पूर्व सेटलमेन्ट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:55:50 IST
Reason: SelfAttested

5.1.2023

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्राधिकृत अधिकारी अथवा किसी भी न्यायालय का कोई आदेश नही था और उसके अभाव में सेटलमेन्ट के अधिकारी व कर्मचारी कतई राजस्व नक्शे में जिस प्रकार से परिवर्तित किया गया हैं,उसे परिवर्तित नही कर सकते थे। कि उपरोक्त सेटलमेन्ट में,सेटलमेन्ट अधिकारीयों द्वारा बिना सक्षम न्यायालय के आदेश व निर्णय के ही राजस्व रेकार्ड में पुराने इन्द्राज के स्थान पर नये इन्द्राज कर दिये गये एवं भूमि की किश्म को परिवर्तित कर दिया,जिसका कानूनन उन्हे कोई अधिकार ही नही था। सेटलमेन्ट प्रक्रिया में बिना सक्षम न्यायलय के आदेश के भूमि–अभिलेख में प्रविष्टियों की निरंतरता को समाप्त नहीं किया जा सकता था एवं राजस्व नक्शे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता था, यदि सेटलमेन्ट अधिकारियो द्वारा ऐसा किया जाता हैं,तो उनका उक्त आदेश/प्रक्रिया बिना अधिकार के होने से अवैध एवं void ab initio हैं,ऐसी अवैधता को किसी भी वक्त चुनौती दी जा सकती हैं। उपरोक्त पदो का विप्रार्थी की ओर से Evasive Reply दिया गया है,जो कि विप्रार्थी द्वारा Deemed Admission;स्वीकारोक्ती) की श्रेणी में आता हैं। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,131 में यह उल्लेखित किया है,कि खसरा नं 299 की खातेदारी की भूमि 25.17 बीघा थी तथा 1967 में जरीब 132 X 132 की परिवर्तित कर 165 X 165 की गई,तब भी केवलमात्र 10.01 बीघा भूमि ही खातेदारी में दर्ज हुई शेष 6.10 बीघा त्रूटिपूर्ण नदी में दर्ज हो गयी,कि पूर्व में जब जरीब 132 थी,तो खसरा नं 299 एवं उसके विभिन्न बटटो को कुल रकबा 25.17 बीघा था। कालान्तर में विभाग द्वारा जरीब 165X165 की गई थी,तो उक्त खसरा संख्याा 299 मय बटट्ा नंबर का रकबा 16.11 बीघा अंकित किया जाना था,परन्तु खसरा बन्दोबस्त अनुसार 10.01 बीघा भूमि ही खातेदारी में अंकित की गई शेष 06.10 बीघा भूमि सेटलमेन्ट के अधिकारीयो द्वारा बिना किसी विधिपूर्ण अधिकारीता/प्रकिया के प्रार्थी की भूमि को राजस्व नक्शे में नदी का भाग बता दिया। नक्शा में भी नदी की स्थिति को पुराने व नये नक्शे में भिन्नता होना,जिसमें पुराने नक्शे में नदी की स्थिति को नये सेटलमेन्ट के नक्शे में परिवर्तित करना पाया गया है। उक्त पर नदी की स्थिति में प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि में कोई परिवर्तन नही हुआ एवं सेटलमेन्ट के अधिकारीयों द्वारा बिना किसी विधिपूर्ण कार्यवाही के प्रार्थी की कब्जा सुदा भूमि को नदी दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:55:50 IST
Reason: SelfAttested

5.1.2023

(S.D.O.) बालोतरा

किया गया हैं। जबकि खसरा संख्या 299 की आबादी भूमि में प्रार्थी का कब्जा रहा व उनके गुरू श्री संत श्री परमानंद महाराज की समाधी स्थल बना है व मेघवाल समाज बगेची की तामीरें बनी हुई है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के वर्तमान उक्त कब्जा शुदा भूखण्ड के राजस्व नक्शें व खतौनी को गत बंदोबस्त के नक्शे अनुसार तरमीम दुरूस्ती की जावें।

6.इसके विपरीत विप्रार्थी की बहस है,कि प्रार्थी की ओर से आवेदन–पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है,जो निरस्त योग्य है। क्योंकि विवादित भूमि का प्रथम सेटलमेन्ट संवत 2012 अर्थात् सन् 1955 में हुआ था, जहां आबादी मौके पर बसी हुई थी,जिसका रकबा राजस्व रेकर्ड में आबादी के रूप में दर्ज हुआ। द्वितीय सेटलमेन्ट वर्ष 1967 में किया गया,तो नदी के बहाव क्षेत्र एंव पानी के भराव क्षेत्र में आने वाली भूमि को गै.मु.नदी दर्ज किया गया,जो वक्त सेटलमेन्ट के अधिकारियों के द्वारा जल पातायतन की भूमि सही दर्ज की गई है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे कथन किया गया कि सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा नदी पातायतन पानी बहाव क्षेत्र व डूब क्षेत्र का बारीकी से सर्वे करवातें हुए आबादी बसावट के अनुसार आबादी दर्ज की गई है तथा पानी भराव क्षेत्र की भूमि को गैर मुमकिन नदी स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी का भूखण्ड गैर मुमकिन नदी में आया हुआ है,जो कि गैर कानूनी है। क्योंकि विवादित भूमि आबादी में न होकर गैर मुमकिन नदी खसरा संख्या 1741/982 भूमि के अन्दर अवस्थित है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि की रेकर्ड दुरुस्ती करवाने के हकदार नहीं है। क्योंकि विवादित भूखण्ड गैर मुमकिन नदी में अवैध रूप से बनाया हुआ है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर कथन किया कि राजस्व रेकर्ड दुरुस्ती उसी में हो सकती है,जो दौराने कार्य करते समय कोई त्रुटि अथवा भूलवंश गलती हुई हो। लेकिन हस्तगत आवेदन–पत्र में वर्णित भूमि का वक्त सेटलमेन्ट के [illegible] द्वारा समय–समय पर विस्तृत सर्वे करते हुए हितबद्ध पक्षकारान को [illegible] अवसर दिया जाकर मौका व रेकर्ड स्थिति अनुसार रेकर्ड में संधारण किया था। इस प्रकार प्रार्थी किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने का हकदार नहीं हैं,क्योंकि प्रार्थी द्वारा गै.मु.नदी की भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:55:50 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा
5.1.2023

अतिक्रमण करने के उपरांत इसकी आड़ में राजस्व अभिलेख व नक्शा लट्ठा में तरमीम दुरुस्त करवाने की फिराक में है,जिसमें प्रार्थी सफलता प्राप्त करने का हकदार नहीं है,अपनी बहस को जारी रखतें हुए कथन किया कि पूर्व में उक्त प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन था,जिसमें प्रार्थी द्वारा बंदोबस्त प्रक्रिया को आक्षेपित किया गया,जिस पर माननीय न्यायालय में भूप्रबन्ध की स्थिति पर सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश दिनांक 27.11.2020 द्वारा राजस्व विभाग एवं भू प्रबंध विभाग की संयुक्त टीम गठित कर गत भू प्रबंध एवं वर्तमान भू प्रबंध के नक्शों का सुपरइम्पोजिशन मानचित्र एक पैमाने पर लेकर करवाया गया था,जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि गत सेटलमेंट के खसरा संख्या 299 का भाग होना पाया गया था। जो तत्समय प्रचलित भू प्रबंध के रेकर्ड के अनुसार गैर मुमकिन नदी नहीं थी। लेकिन प्रार्थी द्वारा पूर्व प्रचलित भू प्रबंध के दौरान वादग्रस्त भूमि पर कब्जा/विधिक स्वामित्व होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रार्थी का आवेदन खारिज फरमाया जावें।

7.हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड, दस्तावेजात,विप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब व तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट का गम्भीरता–पूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 आर.एल.आर.एक्ट के तहत पेश कर आवेदन–पत्र व अपनी बहस में मुख्य इस्तदूआ चाही है,कि गत सेटलमेंट में प्रार्थी की प्रश्नगत आबादी भूमि खसरा संख्या 299 में अवस्थित थी,लेकिन द्वितीय सेटलमेंट के समय प्रार्थी की विवादित भूमि आबादी भूमि होने के उपरांत भी तत्कालीन राजस्व अधिकारियों द्वारा अपनी मनमर्जी तरीके से गलत सर्वे करते हुए गलत तरीके से प्रार्थी की स्वामित्व कब्जाशुदा भूमि को गैर मुमकिन नदी में रेकर्ड व तरमीम अंकन कर दी गई,जो आदिनांक तक गलत तरीके [illegible] रेकर्ड इन्द्राज चला आ रहा है,जिसे निरस्त करते हुए प्रार्थी की विवादित कब्जाशुदा [illegible] आबादी खसरा संख्या 299 की सीमाओं के भीतर होना मानकर राजस्व अभिलेख व [illegible] नक्शें में तरमीम दुरुस्त करवाना चाह रहें हैं। जिसमें पाया कि तहसीलदार पचपदरा की अध्यक्षता में

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:55:50 IST
Reason: SelfAttested

5.1.2023
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

गठित कमेटी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 16.8.2022 में स्पष्ट अंकन किया है,कि प्रार्थी वर्तमान भू प्रबंध के खसरा संख्या 1741/982 में काबिज है,जो गैर मुमकिन नदी है। इस प्रकार प्रार्थी जिस भू–भाग पर काबिज होना बता रहें है,वह सेटलमेन्ट अनुसार भी गैर मुमकिन नदी में आता है,इससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि गैर मुमकिन नदी के अन्दर अवस्थित है,जो एक प्रकार से अतिक्रमण ही माना जा सकता है। जबकि विवादित भूमि का प्रथम सेटलमेन्ट सन् 1955 में हुआ था तथा द्वितीय सेटलमेन्ट भी सन् 1967 में हुआ था। तत्समय सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों द्वारा विस्तृत सर्वे करते हुए मौका व रेकर्ड स्थिति अनुसार रेकर्ड संधारण किया था,जो कि विवादित भूखण्ड आबादी में नहीं होकर गैर मुमकिन नदी का ही भाग है। इस प्रकार अदालत का यह मानना है,कि प्रार्थी की विवादित भूमि की रेकर्ड दुरुस्त करवाने का हकदार प्रतीत नहीं होता है,क्योंकि वक्त सेटलमेन्ट से आदिनांक तक रेकर्ड में गैर मुमकिन नदी इन्द्राज है। प्रथम सेटलमेन्ट को हुए लगभग 65 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है और उसके बाद द्वितीय सेटलमेन्ट भी हो चुका हैं। इतने वर्षों तक प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि के रेकर्ड दुरुस्ती संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गई,इस बिन्दु के संबंध में कोई सन्तोषप्रद जवाब/तर्क नहीं दिये गये। प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया,जिससे साबित होता हो कि विवादित भूमि गैर मुमकिन नदी में न होकर आबादी भूमि में हो। प्रार्थी द्वारा केवलमात्र मौखिक कथन किये है,कि प्रार्थी की भूमि गैर मुमकिन नदी में नहीं होकर आबादी भूमि में आती है,यह तर्क मानने योग्य नहीं है। क्योंकि मौखिक कथन से राहत प्रदान नहीं की जा सकती है,इसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों का होना आवश्यक है। ऐसी सूरत में प्रार्थी की ओर से आवेदन में कोई सारभूत तथ्य निहित नहीं है,कि प्रार्थी रेकर्ड दुरूस्ती करवानें के योग्य है। अदालत के ध्यान में यह भी आया है,कि प्रथम भू प्रबंध के समय एवं उसके पश्चात प्रार्थी का किसी प्रकार का टाईटल नहीं है,जिससे [illegible] प्रबंध की प्रक्रिया को चुनौती दे सकें। हमारे द्वारा प्रथम भू प्रबंध [illegible] प्रबंध के [illegible] का अवलोकन किया गया,प्रश्नगत प्रकरण सूओ–मोटो (suo moto)अब्दुल [illegible]मान बनाम सरकार से पूर्णतया चस्पा होता है। जिसके अनुसार जर्ल–प्रवाह क्षेत्र में किसी प्रकार का भौतिक एवं राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है,न ही किसी प्रंकार का

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:55:50 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

बांवटन,नियमन इत्यादि किया जा सकता है,प्रार्थी अपना टाईटल अन्य प्रकार से सिद्व नहीं कर सके है। द्वितिय भू प्रबंध सेन्टलमेंट सन 1967 में हुआ है,जो आदिनांक तक प्रभावी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 से लागू है,जिसके अनुसार धारा 16 नदी प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है। अतः अवलोकन से सिद्व है कि सुपर इम्पोजिशन में भी उक्त खसरा नदी का भू भाग/जल प्रवाह क्षेत्र में है। इस प्रकार प्रार्थी टाईटल व मौका अनुसार किसी प्रकार का सामर्थ नहीं रखता है। अदालत द्वारा समुचित विवेचन किये जाने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंची है,कि आवेदन–पत्र में ऐसा कोई सारभूत तथ्य व दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है,जिससे स्पष्ट हो सके कि विवादित भूमि की तरमीम दुरुस्ती योग्य हों। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन–पत्र सारहीन तथ्यों को आधार पर होने के कारण खारिज योग्य है।

8.लिहाजा प्रार्थी का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 आर.एल.आर. एक्ट प्रकरण में सारभूत तथ्य निहित नहीं होने व सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

आदेश आज दिनांक 05.1.2023 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

5.1.2023

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:55:50 IST
Reason: SelfAttested